

फार्म

'प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **हरीश वर्मा** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक वर्ग-एक**
 3. वर्तमान वेतन **47,300/-** म.भत्ता **2365/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01.07.2018**

उस स्थित, उस राशय को बताने का तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इस किस प्रकार अर्जित किया गया "खरीदा, पट्टा, कच, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
म.नं. 73, सेक्टर-ई स्लाईज-4, स्क्रीम नं. 78, इन्दौर	रो हाऊस	-	लगभग 10 लाख	स्वयं के नाम	स्वयं की बचत एवं संस्था से ऋण लिया गया।	-	-
भागीरथपुरा, इन्दौर	म.नं. 639 10 X 30	-	लगभग 08 लाख	पत्नि के नाम	स्वयं की बचत एवं संस्था से ऋण लिया गया।	-	-
सिंगापुर टॉउनशीप, ग्रीन व्यू प्रीमियम, ग्राम बिज्जूखेडी, तह-सांवेर जिला-इन्दौर	-	20 X 50 प्लॉट नं. एस-510	लगभग 10 लाख	पत्नि के नाम	एल.आई.सी.हाउसिंग फायनेंस, इन्दौर से ऋण लिया गया एवं स्वयं की बचत द्वारा	-	-

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

एवं मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर *Harish Verma*
24/1/18

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या कच पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

नाम : **हरीश वर्मा**
पद : **सहायक वर्ग - एक**
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
इन्दौर - (M090)